भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1707

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पर्याप्त उपलब्धता

1707 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों और 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिला मुख्यालयों में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू-पीएचसी) कार्यशील हैं और यदि नहीं, तो ऐसे सभी शहरों में इन्हें स्थापित किए जाने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या शहरी मलिन बस्तियों के पास स्थित यू-पीएचसी को इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के उप-मिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के तहत शहरी गरीबों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए संपूर्ण शहरी आबादी को अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। वर्तमान में, एनयूएचएम राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य शहरों/कस्बों को कवर करते हुए, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (लक्षद्वीप को छोड़कर) के 1243 शहरों/कस्बों में कार्यान्वित किया जा रहा है। हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स) 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 9793 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (36.7% की कमी) की आवश्यकता की तुलना में 6528 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। यह रिपोर्ट https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf लिंक पर उपलब्ध है । राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों को अवसंरचना, मानव संसाधन, निदान, उपकरणों, दवाओं आदि सहित यूपीएचसी का प्रचालन शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की छूट है। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा किया जाता है और इसकी सिफारिशों के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है।

(ख) और (ग): शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यू-पीएचसी) शहरी मलिन बस्तियों, कमजोर समूहों और शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निकट स्थित हैं। 15,000-20,000 की आबादी वाले क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (यू-एएएम) और 2.5-3 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में पॉलीक्लिनिक जैसी नई इकाइयां शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं ताकि समुदाय के नजदीक मलिन बस्ती में रहने वाली आबादी और कमजोर आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इनमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का स्टाफ होता है। ये स्वास्थ्य सुविधा केंद्र मुफ्त दवाओं और निदान के साथ सेवाओं के सुनिश्चित न्यूनतम पैकेज के साथ व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में गैर-संचारी रोगों की जांच, संचारी रोगों की शीघ्र पहचान और प्रकोप की शीघ्र पहचान तथा प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने के साथ उपचारात्मक सेवाओं के अलावा, निवारक और प्रोत्साहक परिचर्या भी शामिल है।

हाशिए पर पड़ी शहरी आबादी के कमजोर और दूर-दराज में रहने वाले समूहों के लिए मासिक आउटरीच/शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस (यूएचएनडी) आयोजित किए जाते हैं और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी) द्वारा कार्य क्षेत्र में घर का दौरा किया जाता है। आशाकर्मी और महिला आरोग्य समितियां सामुदायिक भागीदारी बढ़ाती हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करती हैं। इसके अलावा, शहरी स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का निराकरण करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और शहरी विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), पेयजल और स्वच्छता आदि जैसे अन्य विभागों के साथ प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य आवसंरचना, मानव संसाधन, दवाओं, निदान और सेवाओं में सुधार के लिये भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस 2022) और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार के लिये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक निर्धारित किये गए हैं।
